FUTURE IS HERE

पत्रांक : वाई.ई.ए. / सी0ई0ओ0 / 265 / 2017
दिनांक– 06 / 01 / 2017

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या–58 / 10 में प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर उ0 प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–5085 / 77–4–16–142एन / 08, दिनांक 15 दिसम्बर, 2016 से अनुमोदित Project Settlement Policy (PSP) को संचालक मण्डल के निम्न निर्देशों के साथ अंगीकृत किया जाता है :–

"आवंटी द्वारा जो भूमि प्राधिकरण को सरेण्डर की जायेगी उसमें प्राधिकरण की भवन विनियमावली के अनुसार अनुमन्य ग्राउन्ड कवरेज, सेट–बैक व एफ.ए.आर. की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाये।"

Project Settlement Policy (PSP) दिनांक 15.12.2016 से 6 माह के लिये प्रभावी होगी। इस नीति के अन्तर्गत सुविधाओं को केवल एक बार ही आवंटी प्राप्त कर सकता है। PSP नीति लागू होने के उपरान्त उक्त बिन्दुओं पर यदि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कोई नियम लागू है तो वह नियम निरस्त माने जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा यदि पूर्व से ही पुनर्निर्धारण (रि–शेड्यूलमेन्ट) की कोई नीति निर्धारित है तथा उसके अन्तर्गत मॉग पत्र जारी किये गये है, मॉग पत्रों के आधार पर आवंटियों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत धनराशि जमा कर दी गयी हो तो ऐसे प्रत्यावेदनों का निस्तारण उसी नीति के अन्तर्गत अनुमन्य किया जायेगा। जो आवंटी मॉग पत्र के अनुसार समय पर अनुपालन नहीं कर पाये, उनका मॉग पत्र निरस्त मानते हुए शासन द्वारा अनुमोदित नई PSP नीति के अन्तर्गत आवेदन कर सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त आदेश प्राधिकरण की 58वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 58 / 10 में लिये गये निर्णय के आधार पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(डॉ अरूण वीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
2. महाप्रबन्धक (वित्त / नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
3. विशेष कार्याधिकारी (एच / एस.बी. / एम.) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबन्धक / संबंधित उपमहाप्रबन्धक (परियोजना),यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. प्रबन्धक– I / II (सम्पत्ति), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
6. गार्ड फाईल।

6/1/17
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–पी–2, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी – 201308,जिला–गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 – 0120 – 2395201, फैक्स न0 – 0120 – 2395150